तीन हफ्तों में 20 बार बढ़े पेट्रोल के दाम, 25 पैसे की हुई बढ़ोतरी

नई दिल्ली, 27 जून (भाषा)।

पेट्रोल की कीमत में शनिवार को प्रति लीटर 25 पैसे और डीजल के दामों में 21 पैसे की वृद्धि होने के बाद तीन हफ्तों में पेट्रोल–डीजल की कीमतों में अब तक क्रम से 9.12 और 11,01 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है।

पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.13 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 80.38 प्रति लीटर हो गई है, वहीं डीजल के दाम 80.19 रुपए से बढ़कर 80.14 प्रति लीटर हो गए हैं।

सात जून से कुल 9.12 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल, 21 पैसे बढ़े डीजल के दाम
दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 80.38 प्रति लीटर, 80.14 प्रति लीटर हुआ डीजल

वाहन ईंधन के दाम देशभर में बढ़ाए गए हैं, लेकिन स्थानीय बिक्रीकर या मूल्यवर्धित कर (वैट) की वजह से विभिन्न राज्यों में इनकी कीमतों में अंतर होता है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 86.91 रुपए से बढ़कर 87.14 प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत 78.51 रुपए से बढ़कर 78.71 रुपए प्रति लीटर हो गई है। एक ओर जहां डीजल के दामों में लगातार 21वें दिन बढ़ोतरी हुई है, वहीं पेट्रोल की कीमत पिछले तीन हफ्तों में 20वीं बार बढ़ी है। सात जून से पेट्रोल कुल 9.12 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। वहीं इस दौरान डीजल कीमतों में 11.01 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।

यह केंद्र की सरासर मुनाफाखोरी : यशवंत सिन्हा

पटना, 27 जून (भाषा)।

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने शनिवार को आरोप लगाया कि रोजाना पेट्रोल–डीजल की कीमतों में वृद्धि कर केंद्र बस मुनाफाखोरी कर रहा है।

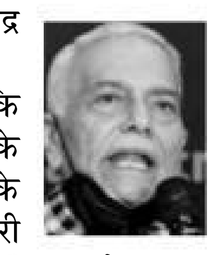

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि एक तरफ केंद्र ने अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की जबकि दूसरी तरफ उसने उन लोगों को लूट लिया जो मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और अन्य वाहनों से सफर करते हैं।

शनिवार को जहां डीजल के दामों में लगातार 21वें दिन वृद्धि की गई वहीं पेट्रोल की कीमत पिछले तीन हफ्तों में 20 बार बढ़ चुकी है। सिन्हा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ऐसे कई मौके आते हैं जब पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि करना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन मैं अपने अनुभवों के आधार पर आपको बता सकता हूं कि आज की परिस्थिति में यह और कुछ नहीं बल्कि सरासर मुनाफाखोरी है। उन्होंने कहा, यह जानना दुर्भाग्यपूर्ण एवं निराश करने वाला है कि सरकार मुनाफाखोरी का सहारा ले रही है।

सिन्हा ने कहा कि यह सबको पता है कि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं।

कामा होल्डिंग्स लिमिटेड

KAMA Holdings

(सीआईएनः L92199DL2000PLC104779)
पंजीकृत कार्यालयः द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, यूनिट संख्या 236 व 237, द्वितीय तल, मयूर प्लेस, नोएडा लिंक रोड, मयूर विहार फेज 1 एक्सटेंशन, दिल्ली–110091
कॉर्पोरेट कार्यालयः ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुरुग्राम–122003
दूरभाष संख्याः (+91–124) 4354400 • फैक्सः (+91–124) 4354500
ईमेलः info@kamaholdings.com • वेबसाइटः www.kamaholdings.com

सूचना – बैठक का स्थगन

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, 2015 की नियमावली 29 के साथ पठित नियमावली 47 एवं लागू होने योग्य अन्य प्रावधानों के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कामा होल्डिंग्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक जो सोमवार, 29 जून 2020 को, अन्य बातों के अतिरिक्त, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के अनुमोदन तथा समता अंशों पर अंतिम लाभांश की अनुशंसा, यदि कोई हो, पर विचार हेतु आयोजित होना निश्चित थी, को उक्त उद्देश्य हेतु शुक्रवार, 3 जुलाई 2020 के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.kamaholdings.com एवं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते **कामा होल्डिंग्स लिमिटेड**
हस्ता०/–
एकता महेश्वरी
(पूर्ण कालिक निदेशक, मुख्य वित्त अधिकारी एवं कम्पनी सचिव)

स्थानः गुरुग्राम
दिनांकः 27 जून, 2020

बैंकिंग नियमन (संशोधन) अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मुहर

नई दिल्ली, 27 जून (भाषा)।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सभी शहरी सहकारी बैंकों और बहु–राज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने वाले 'बैंकिंग नियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020' को मंजूरी दे दी है।

एक आधिकारिक बयान में शनिवार को कहा गया कि बैंकिंग नियमन कानून, 1949 में अध्यादेश के जरिए किया गया संशोधन सहकारी बैंकों पर भी लागू है।

बयान के मुताबिक, अध्यादेश का मकसद अन्य बैंकों के संबंध में आरबीआइ के पास पहले से उपलब्ध शक्तियों को सहकारी बैंकों तक बढ़ाकर उनके कामकाज और निगरानी में सुधार और श्रेष्ठ बैंकिंग नियमन लागू करके, और पेशेवर आचरण सुनिश्चित करके तथा पूंजी तक पहुंच में उन्हें सक्षम बनाकर, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और सहकारी बैंकों को मजबूत बनाना है। इसमें कहा गया कि यह संशोधन राज्य सहकारी कानून के तहत राज्य सहकारी समिति पंजीयक की मौजूदा शक्तियों को प्रभावित नहीं करता है।

बयान में कहा गया है कि ये संशोधन प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) या सहकारी समितियों पर लागू नहीं होते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक कर्ज देना है, और जो बैंक, बैंकर या बैंकिंग जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, और चेक अदा नहीं करते हैं।

बयान में यह भी कहा गया कि अध्यादेश बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 45 में भी संशोधन करता है, ताकि जनता, जमाकर्ताओं और बैंकिंग प्रणाली के हितों की रक्षा के लिए किसी भी बैंकिंग कंपनी के पुनर्गठन या विलय की योजना बनाई जा सके।

भारत में 1,482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहु–राज्यीय सहकारी बैंक हैं, जिनके पास 8.6 करोड़ जमाकर्ताओं की लगभग 4.85 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा है। यह निर्णय पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक सहित कुछ सहकारी बैंकों में हुए घोटालों के मद्देनजर महत्व रखता है, जिससे लाखों ग्राहक प्रभावित होते हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे

खुली ई–निविदा सूचना संख्या
N-BSBOSnT-OT-1-2020

मण्डल रेल प्रबन्धक/सिग एवं दूरसंचार/पूर्वोत्तर रेलवे/वाराणसी कृते एवं भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिये "खुली–ई" निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

क्रमांक–1, निविदा सूचना संख्या एवं कार्य का नामः N-BSBOSnT-OT-1-2020: कार्य का नामः वाराणसी डिविजन के मंडुवाडीह स्टेशन में टावर वेगन शेड, ओ.एच.ई. डिपो एण्ड शंटिंग नेक के एक्सटेन्शन के प्रावधान हेतु एक्सिस्टिंग रूट रीले इंटरलोकिंग सीमेन्स में संसोधन एवं जुड़ाव के साथ इंडोर एवं आउटडोर कार्य। **विवरणः** अनुमानित लागतः ₹16,02,454.56, बयाना की राशिः ₹32,100/-, निविदा प्रपत्र की कीमतः ₹2,000/-, कार्य पूर्ण करने की अवधिः 90 दिन। निविदा बंद होने की अंतिम तिथि एवं समयः 23-07-2020 को 15:00 बजे। (1) ई–निविदा दिनांक 23-07-2020 को 15:00 बजे तक आन लाईन जमा किया जा सकेगा। (2) पूर्ण विवरण की जानकारी प्राप्त करने एवं निविदा की प्रस्तुति करने के लिये भारतीय रेलवे की वेबसाईट i.e. www.ireps.gov.in देखें।

मण्डल रेल प्रबन्धक/सिंग. एवं दूरसंचार
मुजाधि/सिगनल–08 वाराणसी

यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मो. नं.: 09794845955 पर एसएमएस करें।

गाड़ियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें।

HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED

Registered Office: B-2/8 Safdarjung Enclave
New Delhi -110029
CIN-L74899DL1988PLC031191

Notice

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is rescheduled and will now be held on Thursday, July 30 at 1:00 P.M. inter-alia, to consider and approve the Audited financial results of the Company for quarter and year ended on 31st March, 2020.

The information contained in this notice is also available on the Company's website at www.bagla-group.com and the website of the Stock Exchange BSE Limited– www.bseindia.com.

For Hindustan Adhesives Limited
Sd/-
M.S. Bagla
Managing Director
DIN-01425646

Place : New Delhi
Date : 26.06.2020

फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड

CIN : L15133UR1990PLC023970

रजिस्टर्ड ऑफिस : लाल टप्पर इंडस्ट्रियल एरिया, पी.ओ. रेशम मजरी, हरिद्वार रोड देहरादून (उत्त.)
फोन : 0135-2499234, **फैक्स :** 0135-2499235, **वेबसाइट :** www.flexfoodsltd.com, **ईमेल :** secretarial@uflexltd.com

31.03.2020 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के दौरान अंकेक्षित वित्तीय परिणाम (₹ लाखों में)

क्र० सं०	विवरण	31.03.2020 को समाप्त तिमाही (अंकेक्षित)	31.12.2019 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	31.03.2019 को समाप्त तिमाही (अंकेक्षित)	31.03.2020 को समाप्त वर्ष (अंकेक्षित)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (अंकेक्षित)
1.	कुल आय	1749	2054	2028	8337	8701
2.	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	132	68	365	570	1099
3.	अवधि के लिए कर पूर्व पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)	218	102	510	679	1103
4.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (शामिल लाभ/हानि) कर पश्चात और अन्य व्यापक आय (शुद्ध कर आय))	191	102	477	652	1070
5.	समतुल्य अंश पूंजी (एफवी ₹ 10/- प्रत्येक)	1245	1245	1245	1245	1245
6.	अन्य इक्विटी, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त 31 मार्च 2019 के तुलन पत्र के अनुसार					7721
7.	आय प्रति शेयर ₹ 10/- रू में (एन्युलाइज्ड नहीं)					
	मूल	1.75	0.82	4.10	5.45	8.86
	तरल	1.75	0.82	4.10	5.45	8.86

नोट :–

1. उपरोक्त विवरण भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015, दिनांक 5 जुलाई 2016 को संशोधित परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/एफएसी/62/2016 के अनुसार, के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए गए तिमाही एवं वर्ष के वित्तिय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारकित अंश है। 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के वित्तिय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.flexfoodsltd.com पर उपलब्ध है।

फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
(अशोक चतुर्वेदी)
अध्यक्ष
DIN - 00023452

स्थान : नोएडा
दिनांक : 27.06.2020

ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड

URJA

CIN: L67120DL1992PLC048983
पंजी. कार्यालयः 487/63, 1ला तल, नेशनल मार्केट, पीरागढ़ी, नई दिल्ली–110087

31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टैंडएलान तथा समेकित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार

(रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	स्टैंडएलॉन					समेकित	
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		समाप्त वर्ष	
		31.3.2020 (अंकेक्षित)	31.12.2019 (अनंकेक्षित)	31.3.2020 (अंकेक्षित)	31.3.2020 (अंकेक्षित)	31.3.2019 (अंकेक्षित)	31.3.2020 (अंकेक्षित)	31.3.2019 (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	2788.12	3667.88	4485.60	14636.32	13214.68	16536.58	13854.95
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	85.28	49.30	36.73	224.46	186.12	175.77	55.12
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	85.28	49.30	36.73	224.46	186.12	175.77	55.12
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	85.28	49.30	36.73	161.00	131.57	112.06	0.40
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	85.28	49.30	36.73	161.00	131.57	112.14	0.51
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	5072.06	5072.06	5072.06	5072.06	5072.06	5072.06	5072.06
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	–	–	–	7565.34	7404.34	11342.46	11230.40
8.	आय प्रति शेयर (रु. 1/– प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)							
	क) मूल :	0.017	0.010	0.007	0.032	0.026	0.0221	0.0001
	ख) तरल :	0.017	0.010	0.007	0.032	0.026	0.0221	0.0001

टिप्पणीः

1. उपरोक्त परिणामों जिसकी ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई, को 27 जून 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।
2. कम्पनी केवल खंड में प्रचालन करती है, अतः खंड वार विवरणों से संबंधित उपबंध कम्पनी पर लागू नहीं है।
3. उपरोक्त वित्तीय अंकेक्षित परिणामों को यथा संशोधित तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में विनिर्दिष्ट रूप में कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) के लागू होने वाले पहचान तथा मापन के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।
4. कम्पनी ने कोविड–19 से संबंधित महामारी के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित प्रभावों का विचार किया है। कम्पनी ने भावी आर्थिक परिस्थितियों के वर्तमान सूचकों के आधार पर परिकल्पनाओं पर संवेदनशील विश्लेषण किया है। इस महामारी के कारण वैदेशिक आर्थिक परिस्थितियों में भविष्य की संभावित अनिश्चितताओं से संबंधन परिकल्पनाओं को विकसित करने में कम्पनी ने इन वित्तीय परिणामों की स्वीकृति की तिथि को कम्पनी की प्रत्याशित भावी प्रदर्शन पर आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों का उपयोग किया है।
5. ईपीएस की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में संशोधित तथा विनिर्दिष्ट रूप में कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित रूप में इंडएएस 33 के अनुसार की गई है।
6. उसे चालू अवधि के वर्गीकरण (उद्घाटन के अनुरूप बनाने के लिये जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि के आंकड़े पुनर्वर्गीकृत/पुनर्समूहीकृत किये गए हैं।

ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
धीरज कुमार शिशोदिया
निदेशक
DIN: 07847284

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 27 जून, 2020

कर्नाटका बैंक लिमिटेड

सम्पूर्ण भारत में, आपका पारिवारिक बैंक

प्रधान कार्यालय : मंगलूरु – 575 002 CIN : L85110KA1924PLC001128

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा 8–बी, प्रथम तल, राजेंद्र पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली –110060 फोनः 011–25813466, मो.: 9319891680
ई–मेल : delhiarm@ktkbank.com, वेब : www.karnatakabank.com

अचल सम्पत्ति की बिक्री सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतदद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कर्णाटका बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 23.01.2020 से सांकेतिक कब्जा किया गया है की 1) मै. अमन ट्रेडर्स, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके प्रॉपराईटर श्रीमती पुष्पा यादव, प्लॉट नं. 80/8, ब्लॉक के–6, मोहन गार्डन, नई दिल्ली–110059, 2) श्रीमती पुष्पा यादव, पत्नी श्री सुरेन्द्र यादव, 3) श्री सुरेन्दर यादव, पुत्र श्री रामफल यादव, दोनों (2) एवं (3) निवासीः एच. नं. 249, हस्तसाल गॉव, उत्तम नगर, पश्चिम दिल्ली–110059 जो ऋणधारक/ गारन्टर/ सह–देनदार हैं, से कर्णाटका बैंक लि., पश्चिम विहार शाखा, नई दिल्ली, ए–4/45, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063, प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाए पीएस ओवर ड्राफ्ट ऋण खाता नं. 5547000600013501 के अंतर्गत 1.6.2020 से आगे के ब्याज तथा लागतों के साथ रु. 80,92,346.66 (रुपए अस्सी लाख बानवे हजार तीन सौ छियालिस तथा पैसे छियासठ मात्र) की वसूली के लिये 4.8.2020 को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य तथा अपसेट मूल्य जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगीः रु. 90,00,000.00 (रुपये नब्बे लाख मात्र) है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री सुरेन्दर यादव एवं श्रीमती पुष्पा यादव के स्वामित्व में ब्लॉक के–6, उत्तम नगर, नई दिल्ली में मोहन गार्डन के नाम से विदित आबादी में ग्राम हस्तसाल की राजस्व सम्पदा में स्थित खसरा नं. 40/18(4–6) खाता खतोनी नं. 242/247 मिन के भाग में एक मंजिला आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 80 ए, माप 200 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा।

चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट का भाग, पश्चिमः 25 फीट चौड़ा रोड, उत्तरः प्लॉट का भाग, दक्षिणः 15 फीट चौड़ा रोड

जमा/प्रस्तुत की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 9,00,000.00 (रुपये नौ लाख मात्र) है।

(ऋणधारकों/मार्टगैजरों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।)

(इस सूचना को ऋणधारकों/गारन्टरों के लिए प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली–2002 के नियम (8) के उप–नियम (6) के अंतर्गत) सूचना भी मानी जाए।)

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया कर्णाटक बैंक की वेबसाईट में दी गई लिंक अर्थात् www.karnatakbank.com पर शीर्ष ''बिक्री के लिए गिरवी परिसम्पत्तियां'' देखें। ई–नीलामी का संचालन 04.08.2020 को 11.30 बजे पूर्वा. से 12.30 बजे अप. तक 05 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टलः https://bankauctions.in पर किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाता को https://bankauctions.in पर अपना नाम निःशुल्क पंजीकृत करना होगा तथा मै. 4 क्लोजर, 605 ए, छठा तल, मैत्रीबनम, अमीरपेट, हैदराबाद–500038, सम्पर्क नं. 040–23736405, मोबाईल 8142000809, ईमेलः vikas@bankauctions.in तथा info@bankauctions.in से ई–नीलामी (अनुमानतः 03.08.2020 को) पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

स्थानः दिल्ली
तिथिः 26.06.2020

मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
कर्णाटका बैंक लि. के लिए

अडाणी ग्रीन एनर्जी को 2,500 करोड़ रुपए जुटाने को शेयरधारकों की मंजूरी

:अडाणी ग्रीन एनर्जी को 2,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है। कंपनी की बृहस्पतिवार को हुई पांचवीं वार्षिक आमसभा में यह मंजूरी मिली।

शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि 25 जून, 2020 को हुई सालाना आम बैठक में सभी प्रस्तावों को शेयरधारकों ने बहुमत के साथ मंजूरी दे दी।

नई दिल्ली (भाषा)।

ARCOTECH LIMITED

CIN:L34300HR1981PLC012151,
181, Sector-3, Industrial Growth Centre, Bawal, Distt. Rewari, Haryana-123501 Website: www.arcotech.in, Email: contact@arcotech.in, Tel: 0128-4264160

NOTICE is hereby given that the meeting of Board of Directors scheduled to be held on Tuesday, June 30, 2020, inter alia to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended on March 31, 2020 stand Cancelled.

The Closure of the trading window as intimated to the Stock Exchange in earlier will continue till the declaration of financial results of the Company for the Quarter and year ended March 31, 2020 and two days thereafter.

The Company will inform the revised date of Board Meeting in due Course.

Intimation is also available on the website of the company (www.arcotech.in) and Stock Exchanges (www. bseindia.com and www. nseindia.com).

FOR ARCOTECH LIMITED
Sd/-
KRISHAN KUMAR MISHRA
COMPANY SECRETARY

Place: New Delhi
Date: 27.06.2020

INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

Registered Office: 14 (II FLOOR, FRONT BLOCK), SAGAR APARTMENTS, 6, TILAK MARG NEW DELHI -110001
CIN- L74899DL1993PLC053034
Website: www.internationalsecuritiesltd.com
Email:- isl@bol.net.in

Notice

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is rescheduled and will now be held on Thursday, July 30, 2020, at 11.00 A.M. inter-alia, to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the year and quarter ended on 31st March, 2020.

The information contained in this notice is also available on the Company's website at www.internationalsecuritiesltd.com and the website of the Stock Exchange Metropolitan Stock Exchange of India Ltd – www.msei.in.

For INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED
Sd/-
Rajeev Kumar Gupta
Whole-Time Director
DIN: 00039399

Place : New Delhi
Date : 26.06.2020

ईडी ने नरेश गोयल के खिलाफ जांच बंद करने का किया विरोध

मुंबई, 27 जून (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेट एअरवेज, उसके प्रवर्तक नरेश गोयल और उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में जांच बंद करने की मुंबई पुलिस की दलील का विरोध किया है। ईडी ने आदाल के समक्ष दाखिल अर्जी में कहा है कि पुलिस ने इस मामले के महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर विचार नहीं किया है। जेट एअरवेज, गोयल और उनकी पत्नी अनीता पर मुंबई के अकबर ट्रैवल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई शिकायत के आधार पर एमआरए मार्ग पुलिस ने इस साल फरवरी में धोखाधड़ी तथा विश्वासघात का एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।

DCM LIMITED

Regd. Office: 2050-2052, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lala Khurana Marg, Bara Hindu Rao, New Delhi-110006
CIN: L74899DL1889PLC000004 E-mail: investors@dcm.in Phone: 011-25719967

EXTRACT OF THE AUDITED STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2020

(Rs. In lacs)

Sr. No.	Particulars	Standalone					Consolidated				
		Quarter Ended			Year Ended		Quarter Ended			Year Ended	
		March 31, 2020 Audited	December 31, 2019 Unaudited	March 31, 2019 Audited	March 31, 2020 Audited	March 31, 2019 Audited	March 31, 2020 Audited	December 31, 2019 Unaudited	March 31, 2019 Audited	March 31, 2020 Audited	March 31, 2019 Audited
1	Total income from operations	(37)	131	9,371	12,890	38,876	1,168	1,378	10,483	18,609	43,254
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)- Continuing operations	(646)	(1,270)	(1,425)	(3,274)	(4,538)	(494)	(1,299)	(1,414)	(2,746)	(4,587)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or extraordinary items)- Continuing operations	(646)	(1,270)	(1,425)	(3,274)	(4,538)	(494)	(1,299)	(1,414)	(2,746)	(4,587)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) - Continuing operations	(646)	(1,214)	(1,247)	(3,218)	(4,538)	(523)	(1,299)	(1,236)	(2,931)	(4,587)
5	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items) - discontinued operations	-	-	557	144	4,818	-	-	526	-	4,641
6	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) - discontinued operations	-	-	557	144	4,738	-	-	526	-	4,561
7	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items)	(646)	(1,214)	(690)	(3,074)	200	(523)	(1,299)	(710)	(2,931)	(26)
8	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income (after tax)]	(610)	(1,279)	(740)	(3,110)	228	(470)	(1,360)	(760)	(2,931)	2
9	Equity Share Capital	1,868	1,868	1,867	1,868	1,867	1,868	1,868	1,867	1,868	1,867
10	Reserves excluding Revaluation Reserve (as shown in the Balance Sheet of previous year)				(448)	17,592				(2,063)	15,797
11	Earnings per share (of Rs. 10 each)										
(a)	Continuing operations										
	(i) Basic (in Rs.)	(3.46)	(6.50)	(6.68)	(17.23)	(24.31)	(2.80)	(6.95)	(6.62)	(15.69)	(24.57)
	(ii) Diluted (in Rs.)	(3.46)	(6.50)	(6.68)	(17.23)	(24.31)	(2.80)	(6.95)	(6.62)	(15.69)	(24.57)
(b)	Discontinued operations										
	(i) Basic (in Rs.)	-	-	2.98	0.77	25.38	-	-	2.82	-	24.43
	(ii) Diluted (in Rs.)	-	-	2.98	0.77	25.38	-	-	2.82	-	24.43
(c)	(For continuing and discontinued operations)										
	(i) Basic (in Rs.)	(3.46)	(6.50)	(3.70)	(16.46)	1.07	(2.80)	(6.95)	(3.80)	(15.69)	(0.14)
	(ii) Diluted (in Rs.)	(3.46)	(6.50)	(3.70)	(16.46)	1.07	(2.80)	(6.95)	(3.80)	(15.69)	(0.14)

Notes:

1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting(s) held on June 26, 2020. The Auditor's Report of the Statutory Auditors has been filed with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.
2. The above is an extract of the detailed format of financial results of the Company for the quarter and year ended ended March 31, 2020 filed with the Stock Exchanges (i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time. The full format of the Standalone and Consolidated financial results are available on the Stock Exchange(s) websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and Company's website www.dcm.in.

For and on behalf of the Board
For DCM Limited
Sd/-
Jitendra Tuli
Managing Director

Place: New Delhi
Date: June 26, 2020

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः गाँव सेहानी, मेरठ रोड, गाज़ियाबाद, उ0प्र0

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2020 के अंतर्गत **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेहानी, गाजियाबाद शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि **15.01.2020** जारी कर ऋणधारक **श्री मनोज कुमार गोयल पुत्र स्व. श्री लाजपत राय गोयल,** जी–47, सेक्टर–6, नोएडा, उ.प्र.–201301 तथा **श्रीमती कविता रानी गोयल, पत्नी श्री मनोज कुमार गोयल, गारंटरों श्री विकास गोयल, पुत्र श्री लाजपत राय गोयल,** सी–गुलमोहर एन्क्लेव, फ्लैट नं. 509, गाजियाबाद एवं **श्रीमती शालिनी गोयल, पत्नी श्री विकास गोयल** को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **रु. 1,97,75,979/–(रुपये एक करोड़ सत्तानवे लाख पचहत्तर हजार नौ सौ उन्यासी मात्र)** वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे अतः एतदद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज **24.06.2020** को अधोहस्ताक्षीरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय **रु. 1,97,75,979/–(रुपये एक करोड़ सत्तानवे लाख पचहत्तर हजार नौ सौ उन्यासी मात्र)** के लिये **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेहानी, गाजियाबाद शाखा** के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा (13) की उप–धारा(8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

अधोलिखित सम्पत्तियों का सभी भाग तथा हिस्सा :

(1) **श्री विकास गोयल, पुत्र स्व. श्री लाजपत राय गोयल एवं श्रीमती शालिनी गोयल, पत्नी श्री विकास गोयल** के नाम में आवासीय कॉलोनी कविनगर, गाजियाबाद, जिला एवं तहसील गाजियाबाद में स्थित सम्पूर्ण फ्रीहोल्ड आवासीय सम्पत्ति सं. केएफ–23–ए जिसका क्षेत्रफल 147.565 वर्ग मी. है। चौहदीः
पूर्व : सम्पत्ति सं. केएफ–23–बी **पश्चिम :** सम्पत्ति सं. केएफ–23–सी
उत्तर : मकान सं. केएफ–23–सी **दक्षिण :** 80 फीट चौड़ा रोड

(2) **श्री विकास गोयल, पुत्र स्व. श्री लाजपत राय गोयल एवं श्रीमती शालिनी गोयल, पत्नी श्री विकास गोयल** के नाम में आवासीय कॉलोनी कविनगर, गाजियाबाद, जिला एवं तहसील गाजियाबाद में स्थित सम्पूर्ण फ्रीहोल्ड आवासीय सम्पत्ति सं. केएफ–23सी जिसका क्षेत्रफल 388.47 वर्ग मी. है साईट के अनुसार। चौहदी :
पूर्व : सम्पत्ति सं. केएफ–24 **पश्चिम :** सम्पत्ति सं. केएफ–22
उत्तर : अन्य सम्पत्ति,
दक्षिण : रोड 80 फीट एवं सम्पत्ति सं. केएफ–23ए एवं सम्पत्ति सं. केएफ–23–बी

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के अंतर्गत पूर्व में जारी की गई सभी सूचना वापस ली जाती है।

स्थानः गाजियाबाद
तिथिः 24.06.2020

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

www.readwhere.com